भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH
कृषि भवन, डॉ.राजेंद्र प्रसाद मार्ग,नई दिल्ली-110001
KRISHI BHAWAN, DR. RAJENDRA PRASAD MARG, NEW DELHI-110001

फा.सं.रा.भा. 3(4)/2018-हिंदी दिनांक: 26 फरवरी, 2021

परिपत्र

विषय: हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना-वर्ष 2020

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में दिनांक 18 फरवरी, 2021 के कार्यालय ज्ञापन सं. 12011/01/2021-रा.भा.(का.-2) के माध्यम से राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु निम्नलिखित पुरस्कार योजनाओं के लिए दिनांक 01.01.2020 से 31.12.2020 के दौरान प्रकाशित पुस्तकें आमंत्रित की जाती हैं।

1. केंद्र सरकार के कार्मिकों (सेवानिवृत सहित) को हिंदी में मौलिक पुरस्कार लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार
2. भारत सरकार के नागरिकों को हिंदी में ज्ञान-विज्ञान मौलिक पुरस्कार लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार

अत: उपर्युक्त पुरस्कार योजनाओं के लिए प्रविष्टियां अनुलग्नक में दिए गए प्रपत्र (अनिवार्यतः पूरे भरे हुए) के साथ **दिनांक 01 मई, 2021** तक राजभाषा विभाग पहुंच जानी चाहिए। संबंधित पत्र आवश्यक सूचना हेतु संलग्न है।

संलग्नक: उपरोक्त अनुसार

सीमा चोपड़ा 26.2.21
(सीमा चोपड़ा)
निदेशक (राजभाषा)

वितरण:

1. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (मुख्यालय), कृषि भवन; तथा कृषि अनुसंधान भवन- I और II; एन.ए.एस.सी., पूसा; नई दिल्ली के सभी अधिकारी/अनुभाग शामिल है। (वेबसाइट/ई-ऑफिस के माध्यम से)
2. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीनस्थ सभी संस्थानों/ब्यूरो/केन्द्रों के निदेशक (वेबसाइट के माध्यम से)

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग
* * *

बी विंग, चतुर्थ तल, एन.डी.सी.सी.-2 भवन,
जय सिंह रोड,नई दिल्ली-110001,
दिनांक: 18 फरवरी, 2021

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना-वर्ष 2020

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए चलाई जा रही निम्नलिखित पुरस्कार योजनाओं के लिए 01.01.2020 से 31.12.2020 के दौरान प्रकाशित पुस्तकें आमंत्रित हैं ।

1. केन्द्र सरकार के कार्मिकों (सेवानिवृत्त सहित) को हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार

पात्रता/शर्तें :

i) पुस्तक के लेखक केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/उनके सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों/वित्तीय संस्थानों तथा केन्द्र सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन स्वायत्त संस्थाओं/विश्वविद्यालयों/प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यरत/सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी हों ।

ii) सेवारत लेखक अपनी प्रविष्टि अपने विभाग के अध्यक्ष द्वारा सत्यापन तथा संस्तुति के साथ तथा सेवानिवृत्त लेखक अपनी प्रविष्टि पीपीओ की छाया प्रति संलग्न करके इस विभाग को सीधे भेजें । **(प्रपत्र -1)**

पुरस्कार :

इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे :-

प्रथम पुरस्कार -	₹1,00,000, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
द्वितीय पुरस्कार-	₹75,000, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
तृतीय पुरस्कार -	₹60,000, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न

2. भारत के नागरिकों को हिंदी में ज्ञान-विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार

विषय: पुस्तक आधुनिक तकनीकी/विज्ञान की किसी विधा अथवा समसामयिक विषय पर लिखी हो सकती है। उदाहरणार्थ:-

i) इंजीनियरी, इलेक्ट्रानिक्स, कंप्यूटर विज्ञान, भौतिकी, जीव विज्ञान, ऊर्जा, अंतरिक्ष विज्ञान, आयुर्विज्ञान, रसायन विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, मनोविज्ञान आदि।

ii) समसामयिक विषय जैसे उदारीकरण, भूमंडलीकरण, उपभोक्तावाद, मानवाधिकार, प्रदूषण आदि

5. पुस्तकों की मूल्यांकन प्रक्रिया:

पुस्तकों का मूल्यांकन राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर लब्ध-प्रतिष्ठित विद्वानों/विशेषज्ञों की समिति द्वारा किया जाएगा ।

6. पुरस्कार के बारे में घोषणा और पुरस्कार वितरण:

i) पुरस्कार के बारे में निर्णय की सूचना सभी पुरस्कार विजेताओं को पत्र द्वारा भेजी जाएगी तथा विभाग की वेबसाइट पर भी रखी जाएगी ।

ii) पुरस्कार वितरण राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित तिथि को किया जाएगा ।

7. सामान्य सूचना:

i) पुरस्कार प्रदान किए जाने अथवा पुरस्कार के लिए पुस्तक चयन की प्रक्रिया के बारे में कोई पत्र-व्यवहार नहीं किया जाएगा।

ii) पुरस्कार वितरण के लिए नियत स्थान से बाहर से आए हुए पुरस्कार विजेताओं को आने-जाने के लिए रेल का द्वितीय श्रेणी (वातानुकुलित) का किराया तथा भारत सरकार के नियमों के अनुसार दैनिक भता दिया जाएगा । ठहरने की व्यवस्था स्वयं अपने खर्चे पर करनी होगी।

iii) योजना के बारे में सूचना विभाग की वेबसाइट **http://rajbhasha.gov.in** पर भी उपलब्ध है।

8. **प्रविष्टि भेजने का पता:**

उप निदेशक (का.)
कार्यान्वयन-2 अनुभाग, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
'बी' विंग, चतुर्थ तल, एन.डी.सी.सी.-2 भवन,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001,
फोन-011-23438143

(बी.एल.मीना)
निदेशक (का.)
दूरभाष 011-23438129

अनुलग्नक

प्रपत्र-1

केन्द्र सरकार के कार्मिकों(सेवानिवृत्त सहित) को हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार - वर्ष 2020

1. पुस्तक का नाम- (हिंदी में) ....

(अंग्रेजी में)..

2. (i) लेखक/सहलेखक का पूरा नाम (हिंदी में)..

(अंग्रेजी में) ....

(ii)पूरा पता(पिन कोड सहित)..

....

....

(iii) दूरभाष.. फैक्स संख्या..

(iv) मोबाईल फोन नं. ....

(v) ई-मेल(स्पष्ट अक्षरों में) ....

3. (i) प्रकाशक का नाम ....

(ii) प्रकाशक का पूरा पता..

(iii) प्रकाशन का वर्ष..

4. (i) क्या पुस्तक को पूर्व में किसी सरकारी संगठन से पुरस्कार प्राप्त हुआ है : हां/नहीं
यदि हां, तो कृपया पूरा ब्यौरा दें ....

....

(ii) क्या पुस्तक के लेखक/सहलेखक को पिछले तीन वर्षों में राजभाषा विभाग की किसी भी पुस्तक लेखन योजना के अन्तर्गत कोई भी पुरस्कार प्राप्त हुआ है ? यदि हां तो वर्ष..एवं पुरस्कार का ब्यौरा ....

5. (क)आधार नं. ....

(ख) आधार कार्ड से जुड़े बैंक खाते संबंधी निम्न विवरण अनिवार्य रूप से दें :

(i) जहां बैंक खाता है, उस शाखा का दूरभाष सहित पता -..

(ii)बैंक खाता संख्या नं. (पूरा) - ....

(iii)आई एफ एस सी कोड- ....

6. मैं यह प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि

(i) मैं ....पुत्र/पुत्री श्री .... भारतीय नागरिक हूँ ।

(ii) मैं कैंद्र सरकार अथवा उसके अधीन कार्यालय..में कार्यरत हूं /से सेवानिवृत्त हुआ हूं ।

(iii) पुस्तक मेरे द्वारा मूल रूप से हिंदी में लिखी गई है ।

(iv) मेरी पुस्तक को इस योजना के अंतर्गत प्रविष्ट करने से किसी अन्य व्यक्ति के कापीराइट का उल्लंघन नहीं होता है और पुस्तक में दिए गए आंकड़ों एवं तथ्यों के लिए मैं स्वयं उत्तरदायी हूं।

मैं वचन देता/देती हूँ कि मैं हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना विनियम के उपबंधों का पालन करूँगा/करूँगी ।

स्थान:.........................

दिनांक:......................... लेखक/सहलेखक के हस्ताक्षर..

कार्यालय द्वारा सत्यापन/अग्रेषण :

प्रमाणित किया जाता है कि श्री -----------------------------------इस कार्यालय में सेवारत/से सेवानिवृत्त हैं ।

(हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर)

नोट 1 : जो लागू न हो, काट दें ।

नोट 2 : पुस्तक के एक से अधिक लेखक होने की स्थिति में प्रत्येक सहलेखक द्वारा उपर्युक्त प्रपत्र अलग-अलग भरा जाए।

अनुलग्नक

प्रपत्र-2

भारत के नागरिकों को हिंदी में ज्ञान-विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन के लिए

राजभाषा गौरव पुरस्कार - वर्ष 2020

1. पुस्तक का नाम - (हिंदी में)..
   (अंग्रेजी में)..
2. (i) लेखक/सहलेखक का नाम- (हिंदी में)..
   (अंग्रेजी में)..
   (ii)पूरा पता(पिन कोड सहित)..
   ....
   ....
   (iii) दूरभाष.. फैक्स संख्या..
   (iv) मोबाईल फोन नं. ....
   (v) ई-मेल(स्पष्ट अक्षरों में)..
3. (i) प्रकाशक का नाम ....
   (ii) प्रकाशक का पूरा पता..
   (iii) प्रकाशन का वर्ष..
4. (i) क्या पुस्तक को पूर्व में किसी सरकारी संगठन से पुरस्कार प्राप्त हुआ है : हां/नहीं
   यदि हां, तो कृपया पूरा ब्यौरा दें ....
   ....
   (ii) क्या पुस्तक के लेखक/सहलेखक को पिछले तीन वर्षों में राजभाषा विभाग की किसी भी पुस्तक लेखन योजना के अन्तर्गत कोई भी पुरस्कार प्राप्त हुआ है ? यदि हां तो वर्ष ....एवं............................
   पुरस्कार का ब्यौरा ....
5. (क)आधार नं..
   (ख) आधार कार्ड से जुड़े बैंक खाते संबंधी निम्न विवरण अनिवार्य रूप से दें :
   (i) जहां बैंक खाता है, उस शाखा का दूरभाष सहित पता -..
   (ii) बैंक खाता संख्या नं. (पूरा) -..
   (iii) आई एफ एस सी कोड-..
6. मैं यह प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि
   (i) मैं ....पुत्र/पुत्री श्री .... भारतीय नागरिक हूँ।
   (ii) पुस्तक मेरे द्वारा मूल रूप से हिंदी में लिखी गई है ।
   (iii) मेरी पुस्तक को इस योजना के अंतर्गत प्रविष्ट करने से किसी अन्य व्यक्ति के कापीराइट का उल्लंघन नहीं होता है और पुस्तक में दिए गए आंकड़ों एवं तथ्यों के लिए मैं स्वयं उत्तरदायी हूं।
   मैं वचन देता/देती हूँ कि मैं हिंदी में ज्ञान विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना विनियम के उपबंधों का पालन करूँगा/करूँगी ।

स्थान:.........................

दिनांक:....................... लेखक/सहलेखक के हस्ताक्षर..

नोट 1 : जो लागू न हो, काट दें ।

नोट 2 : पुस्तक के एक से अधिक लेखक होने की स्थिति में प्रत्येक सहलेखक द्वारा उपर्युक्त प्रपत्र अलग-अलग भरा जाए ।